UPJB010019502026

# न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा

**पीठासीन अधिकारी– विवेक, (उच्चतर न्यायिक सेवा)**

{JOCODE–UP2012}

**फौजदारी निगरानी संख्या–70/2026**

उजमा आयु करीब 25 वर्ष पुत्री मुकीद अहमद पत्नी शनास, हॉल निवासिनी मौह 0 मन्सूरपुर उझारी, थाना सैदनंगली, जिला अमरोहा।

.....**निगरानीकर्ती/वादिनी।**

**।। बनाम।।**

1– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), जनपद अमरोहा।

2– शनास पुत्र फुरकान

3– आजम पुत्र इरफान

4– फुरकान पुत्र अब्दुल रहमान

5– जीशान पुत्र अब्दुल रहमान

6– अरमान पुत्र नकी

निवासीगण ग्राम बुरावली, थाना रहरा, जिला अमरोहा।

.....**विपक्षीगण।**

निगरानीकर्ता की ओर से– **श्री शाहवेज आलम खान**, एडवोकेट

विपक्षी सं0–1 राज्य की ओर से– **श्री महावीर सिंह**, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

विपक्षी सं0–2 ता 6 की ओर से– **श्री जावेद अख्तर**, एडवोकेट।

## निर्णय

प्रस्तुत फौजदारी निगरानी, निगरानीकर्ता की ओर से न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा एफ.आर. संख्या–28/2005 मुकदमा अपराध संख्या–332/ 2024, एफ.आर. बनाम उजमा, थाना रहरा, जिला अमरोहा के मामले में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 10.02.2026 से व्यथित होकर संस्थित की गयी है।

**2.** संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा उजमा द्वारा धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर दिनांक 12.11.2024 थाना रहरा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज की गयी कि दिनांक 25.09.2024 को वह वादिनी उजमा अपने पिता मुकीद अहमद के साथ बुरावली अपना सामान देखने जा रही थी कि समय करीब 4:00 बजे दिन जैसे ही वह ग्राम बुरावली के पास खालिद के बाग के पास पहुंची, तभी मुल्जिमान शनास, आजम, फुरकान, जीशान व अरमान रास्ते में मिले तथा उनकी मोटर साईकिल रोककर जबरदस्ती वादिनी व मुकीद को मोटर साईकिल से उतार लिया तथा वादिनी को गन्दी–गन्दी गालियां देते हुये उसके साथ मारपीट की। मुकीद ने उसे बचाया, तो मुल्जिमान ने मुकीद के साथ भी मारपीट की। उक्त मारपीट के दौरान फुरकान ने

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.07.17 15:20:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मुकीद की जेब से 7,000/–रुपये निकाल लिये तथा मुल्जिमान आजम, जीशान व अरमान ने वादिनी के कपड़े फाड़ दिये व अश्लील हरकते की। शोर पर आये निसार, आस मौहम्मद व अन्य व्यक्तियों ने उन्हें मुल्जिमान से बचाया, तो जाते–जाते मुल्जिमान ने जान से मारने की धमकी दी।

**3.** वादिनी मुकदमा की प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आधार पर दिनांक 12.11.2024 को समय 02:39 बजे मुकदमा अपराध संख्या–332/2024 अंतर्गत धारा 191(2), 115(2), 352, 309(4), 76 व 351(2) भारतीय न्याय संहिता विपक्षीगण शनास, आजम, फुरकान, जीशान व अरमान के विरूद्ध पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना के उपरान्त सम्बन्धित विवेचक द्वारा घटना झूठी व मनगढ़न्त पाते हुये अन्तिम आख्या सं0–50/2024 दिनांक 11.07.2025 को न्यायालय में प्रेषित की गयी तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 10.02.2026 के द्वारा उक्त अन्तिम आख्या को स्वीकार किया गया तथा वादिनी की प्रोटेस्ट याचिका को निरस्त किया गया। उक्त आक्षेपित आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ती/ वादिनी द्वारा वर्तमान फौजदारी निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

**4.** निगरानीकर्ती/वादिनी द्वारा निगरानी में यह आधार लिये गये हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 10.12.2026 गलत, मनमाना व तथ्यों व साक्ष्य के विपरीत है। आक्षेपित आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है। दिनांक 25.09.2024 को विपक्षीगण ने निगरानीकर्ती व उसके पिता के साथ मारपीट, छेड़छाड़ व लूट की घटना कारित की, जिसका समर्थन निगरानीकर्ती ने अपने धारा 180 व 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयानों में किया है परन्तु विचारण न्यायालय ने प्रोटेस्ट पिटीशन खारिज कर विधिक त्रुटि कारित की है। जांच अधिकारी ने घटना के चश्मदीद साक्षी निसार व आस मौहम्मद का कोई बयान नहीं लिया तथा स्वयं की ओर से बयानों का उल्लेख कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश कायम रहने से उसे अपूर्णीय क्षति होगी। उपरोक्त आधारों पर प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करते हुये आक्षेपित आदेश दिनांकित 10.02.2026 को अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

**5.** निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं0–1 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व विपक्षी सं0–2 ता 6 के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

**6.** निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह मुख्य तर्क रखे गये कि वर्तमान मामला निगरानीकर्ती द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रार्थनापत्र के आधार पर पंजीकृत हुआ, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा चश्मदीद गवाह निसार व आस मौहम्मद के कोई बयान अंकित नहीं किये गये, बल्कि अपनी ओर से बयान अंकित कर उनके आधार पर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। निगरानीकर्ती/पीड़िता ने अपने धारा 180 व 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथनों में घटना का समर्थन किया है परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसका प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र निरस्त कर विधिक त्रुटि कारित की गयी है। उपरोक्त आधारों पर निगरानी को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षीगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किये गये कि मामले में विवेचक द्वारा सही विवेचना की गयी है तथा विवेचना में कोई घटना होना न पाते हुये अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुये उचित आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त आधार पर फौजदारी निगरानी निरस्त की याचना की गयी है।

**7.** विधि व्यवस्था **सावित्री देवी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य 2014 (84) ए0सी0सी0 81** में **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद** द्वारा यह अवधारित किया गया है कि–

> "10– In constricted revisional jurisdiction, finding of the lower court cannot be analysed threadware. Besides they

> are not liable to be upset unless they are perverse, based upon misreading of evidence, or suffer from any other legal inhibitions."

उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्त से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में पुनः मूल्यांकन करना नहीं आता है , जब तक विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष अवैध ना हो।

**9.** विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के सम्यक अवलोकन से यह दर्शित होता है कि केस डायरी के पर्चा संख्या–3 पर वादिनी/पीड़िता ने अपने कथन अंतर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मे कहा है कि दिनांक 24.09.2024 की शाम करीब 4:00 बजे वह अपने पिताजी के साथ अपनी ससुराल बुरावली गांव आ रही थी कि बुरावली गांव के बाहर उसके पति शनास खान, ससुर फुरकान, अरमान, तहेरे देवर आजम व चचेरे ससुर जीशान खड़े थे, जिन्होंने उनकी मोटर साईकिल रोककर वादिनी व उसके पिताजी के साथ गाली–गलौंज व मारपीट की, उसके पिताजी की जेब से सात हजार रूपये निकाल लिये, उसके पिताजी का फोन तोड़ दिया व उन्हें जान से मारने की धमकी दी। आस मौहम्मद व निसार ने वहाँ आकर उनकी जान बचायी। उसके ससुराल वालों ने उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ। चश्मदीद गवाह मुकीद ने भी पीड़िता के समान ही कथन किये हैं तथा आजम, जीशान व अरमान के द्वारा अपनी पुत्री के कपड़े फाड़ देना व अश्लील हरकत करना कहा है। केस डायरी के पर्चा संख्या –7 दिनांकित 13.12.2024 पर पीड़िता ने अपने कथन अंतर्गत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहता में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा आजम व जीशान द्वारा कपड़े फाड़ देना व गलत हरकत करना कहा है।

**10.** सम्बन्धित विवेचनाधिकारी द्वारा दौरान विवेचना घटना झूठी व मनगढ़न्त पाये जाने के आधार पर अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी, जिस पर वादिनी की ओर से प्रोटेस्ट याचिका घटना का समर्थन करते हुये विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रोटेस्ट याचिका में यह अंकित किया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रार्थिनी के बयानों को बदलकर व मुल्जिमान से हमसाज होकर कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग किया गया है। प्रोटेस्ट याचिका में यह भी अंकित किया गया कि उसके गवाहान निसार व आस मौहम्मद ने यह बताया है कि जांच अधिकारी ने उनके बयान नहीं लिये। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उपरोक्त आक्षेपित आदेश पारित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रोटेस्ट याचिका को परिवाद के रूप में दर्ज करने के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया गया है।

उपरोक्त विश्लेषण के प्रकाश में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 10.02.2026 में विधिक त्रुटि व अनियमितता है। उपरोक्त परिस्थितियों में निगरानीकर्ती द्वारा प्रस्तुत फौजदारी निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 10.02.2026 स्थिर रहने योग्य नहीं है व अपास्त होने योग्य है।

## आदेश

प्रस्तुत फौजदारी निगरानी संख्या–70/2026 उजमा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि **स्वीकार** की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 10.02.2026 अपास्त किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति तलबशुदा पत्रावली सहित विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ अविलम्ब प्रेषित की जाये कि इस निर्णय में दिये गये सम्प्रेषणों को दृष्टिगत रखते हुये प्रोटेस्ट

याचिका पर पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत आदेश पारित करे।

निगरानीकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2026 को उपस्थित हो।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर की जाये।

**दिनांक–17.07.2026**

**( विवेक )**
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

**दिनांक–17.07.2026**

**( विवेक )**
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

टाईपकर्ताः आनन्द प्रकाश, आशुलिपिक